



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238290
CG-DL-E-23082022-238290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3760]
No. 3760]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 3934(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3014 दिनांक 01.07.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में NH30 के कि.मी. 359.5 से कि.मी. 378.5 (एस्डीएम् (रैभनू) कटनी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "समाचार पत्र की दिनांक 09.07.2022" को "द हितवाद" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में NH30 के कि.मी. 359.5 से कि.मी. 378.5 (एँस्डीएँम् (रैभनू) कटनी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: कटनी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मुरवारा				
	गांव का नाम: द्वारा				
1	221/4	निजी	असिंचित	0.11	गोविन्द प्रसाद गर्ग पिता केशव प्रसाद गर्ग जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी (221/4)
2	222/3	निजी	असिंचित	0.04	संजय पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद गर्ग पता राममनोहर लोहिया वार्ड कटनी मध्य प्रदेश (222/3)
3	222/4	निजी	असिंचित	0.08	अनीता पत्नी स्व. रामाधार, अजय कुमार, शुभम पिता स्व. रामाधार गर्ग पता द्वारा कटनी नगर (222/4)
	गांव का नाम: गुलवारा				
4	1263/1	निजी	व्यवसायिक व्यपवर्तन	1.04	ललित कुमार पिता चिडियाराम जाति मारवाडी पता सा.हा.बो. का. कटनी भूमि स्वामी (1263/1)
5	1314	निजी	व्यपवर्तन	0.25	विनोद कुमार नवलकिशोर तिवारी पता निवासी ग्राम जालपा वार्ड कटनी (1314)

	कुल	1.52	
--	-----	------	--

[फा. सं. NHAI/PIU/JBP/NH-7/JBP-Katni-Rewa/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.O. 3934(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1314 (E.) Dated 01.07.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH30 on the stretch of land from Km. 359.5 to Km. 378.5 (SDM (Revenue) katni) in the district of KATNI in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hitavada” and “Dainik Bhaskar” both dated 09.07.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH30 in the stretch of land from Km. 359.5 to Km. 378.5 (SDM (Revenue) katni) in the district of KATNI in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: KATNI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Murwara				
	Village: Dwara				
1	221/4	Private	Unirrigated	0.11	Govind Prasad Garg S/o Keshav Prasad Garg Caste Bra. Katni the land owner 221/4
2	222/3	Private	Unirrigated	0.04	Sanjay S/o Rameshwar Prasad Garg Address Ram Manohar Lohia Ward Katni Madhya Pradesh 222/3
3	222/4	Private	Unirrigated	0.08	Anita W/o Ramadhar, Ajay Kumar, Shubham S/o Late. Ramadhar Garg Address by Katni Nagar Katni M.P. land owner 222/4

	Village: Gulwara				
4	1263/1	Private	Commercial Diverted	1.04	Lalit Kumar S/o Chidiyaram Caste Marwari Address S.H.B. of. katni land owner 1263/1
5	1314	Private	Diverted	0.25	Vinod Kumar Navalkishore Tiwari Address Jalpa Ward Katni 1314
			TOTAL	1.52	

[F. No. NHAI/PIU/JBP/NH-7/JBP-Katni-Rewa/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director